न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 448 / 10

संस्थित दिनाँक-02.08.10

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—मौ जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

- इन्दलसिंह पुत्र अजमेरसिंह राजपूत उम्र 35 साल
- क्वित्वीर पुत्र विक्रमिसंह राजपूत उम्र 37 साल
 निवासीगण गुरियाची थाना मौ जिला भिण्डअभियुक्तगण

<u>—ः निर्णय ः—</u> {आज दिनांक 17.12.16 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324, 324/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 31.05.10 को 4 बजे ग्राम गुरूयायची स्कूल के पास हैण्डपंप के पास सार्वजनिक स्थान पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी गौकरन की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया जिसके अग्रशरण में अभियुक्त इंदल ने कुल्हाडी से गोकरन की मारपीट कर स्वेच्छा उपहित कारित की।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आहत का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध संहिता की धारा 294, 323 दो काउण्ट एवं 506 के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324, 324/34 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी गौकरन दिनांक 31.05.10 को शाम करीब 4 बजे ग्राम गुरूयायची स्कूल के पास हैण्डपंप पर पानी भरने गया तभी अभियुक्त बंदूक लिए और इंदल कुल्हाडी लिए पंप पर आ गए और कहािक प्रथ्वीराजसिंह के यहां शादी में पानी क्यों भर रहे हो और पानी भरने से मना किया तो फरियादी ने कहािक वह अपने घर के लिए पानी भर रहा है तो इसी बात पर अभियुक्तगण मादरचोद बहनचोद की बुरी बुरी गालियां देने लगे। इंदल ने कुल्हाडी मारी जो सिर में पीछे लगी जिससे खून निकल आया, यदवीर ने बंदूक के बट से दाए हाथ के कंधे में मारा जिससे मुदी चोट आई। फरियादी का चचेरा भाई रायसिंह बचाने आया तो उसे कुल्हाडी के बेट से मारा जिससे उसके हाथ में चोट आई। राजकुमार उर्फ पिल्ली तथा राघवेन्द्र ने बीच बचाव किया। आरोपीगण जान से मारने की धमकी देकर चले गए। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क०—

44/10 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1.क्या दिनांक 31.05.10 को 4 बजे शाम फरियादी गोकरन को धारदार हथियार की कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?

2.क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान अभियुक्तगण ने सह अभियुक्त के साथ मिलकर फिरियादी गौकरन की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया जिसके अग्रशरण में अभियुक्त इंदल ने कुल्हाडी से गोकरन की मारपीट कर स्वेच्छा उपहित कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में गौकरन अ०सा० 1, रायिसंह अ०सा० 2, राघवेन्द्र अ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 7. फरियादी गोकरन अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि घटना वर्ष 2010 की दिन के चार बजे की है। वे तथा उनका चचेरा भाई रायसिंह का आरोपीगण से हैण्डपंप पर पानी भरने को लेकर मुंहवाद हो गया था। जब वे लोग (आहतगण) घर को भागने लगे तो रास्ते में पत्थर के खरंजा पर गिर गए थे जिससे उन्हें चोट आई थी। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में किसी अभियुक्त द्वारा किसी धारदार वस्तु से उपहित कारित किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं करते हैं। आहत रायसिंह अ0सा0 2 घटना मई 2010 की शाम के चार बजे की बताते हैं। यह साक्षी भी पानी भरने को लेकर आरोपीगण से उसका एवं भाई गोकरन का मुंहवाद हो जाना और घर को भागते समय खरंजा पर गिर जाने से चोट आने का कथन करते हैं। घटना का साक्षी राघवेन्द्र उसके सामने कोई घटना न होने का कथन करता है और उसे पता चलना बताता है कि आहतगण का आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था और इसी बात की रिपोर्ट की थी। अभियोजन की ओर से प्र0पी0 1 की प्राथमिकी में

उल्लेखित अन्य साक्षी राजकुमार उर्फ पिल्ली की मृत्यु हो चुकी है। अभियोजन के प्रस्तुत साक्षियों ने घटना का कोई समर्थन नहीं किया है।

- 8. प्रकरण में गोकरन अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह बताते हैं कि उन्होंने कथित मुंहवाद की रिपोर्ट थाना मौ में की जो प्र०पी० 1 बताते हुए उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्नों में प्र०पी० 1 के बी से बी भाग पर अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौंच करने, कुल्हाडी तथा बंदूक के बट से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी दिए जाने संबंधी तथ्य पढ़कर सुनाए जाने पर वैसे तथ्य लिखाए जाने से स्पष्ट इंकार किया है। आहत रायसिंह अ०सा० 2 ने इसी प्रकार से अभियोजन की ओर से दिए गए सुझावों से इंकार किया है। राघवेन्द्र अ०सा० 3 द्वारा भी इसी प्रकार से इंकार किया है। तीनों साक्षियों द्वारा उनके पुलिस कथन कमशः प्र०पी० 2, 4 व 5 में विनिर्दिष्ट ए से ए भाग के कथनों को पुलिस को दिए जाने से इंकार किया है। इस प्रकार से घटना के सर्वोत्तम साक्षीगण आहत एवं चक्षुदर्शी द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन न किए जाने से अभियोजन का मामला दुर्बल हो जाता है।
- 9. प्रकरण में अभियोजन साक्षियों द्वारा अपराध में अभियुक्तगण के कृत्य के संबंध में समर्थन नहीं किया गया है। प्राथमिकी सारवान साक्ष्य नहीं हैं, यह सुस्थापित है। न्यायदृष्टान्त— रिव कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 एवं न्यायदृष्टान्त— ए आई आर 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज—1 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है। प्रकरण में यदि आहतगण को आई चोटें प्रमाणित भी होती है तो उक्त चोटें स्वयं आहतगण द्वारा भागते समय गिर जाने से आने के संबंध में कथन किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण का स्वेच्छिक कृत्य के संबंध में कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। संहिता की धारा 324 के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु अभियुक्त के स्वेच्छिक कृत्य से आहत को उपहित कारित किया प्रमाणित किया जाना होता है, किन्तु प्रकरण में इसका नितांत होता है।
- 10. उपरोक्त विवेचन के अधीन अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः अभियुक्त इंदलसिंह को संहिता की धारा 324 एवं अभियुक्त जबवीर को संहिता की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11. अभियुक्त जदवीर की जमानत भारमुक्त की जाती है। उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

12. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

WILLIAM PARCINO

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश